2025:CGHC:53455

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 3763/2023

1– बलदाऊ प्रसाद कौशिक, पिता जगत राम कौशिक, आयु लगभग 40 वर्ष, कार्यरत: सहायक ग्रेड–2, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

...**याचिकाकर्ता**

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

2– सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

3– संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर, रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

4– मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री विकास दुबे, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	: श्री राहुल तामस्कर, अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

बोर्ड पर आदेश

31/10/2025

1. याचिकाकर्ता दिनांक 24.09.2022 के उस आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु उसके ₹54,848/– के दावे को अस्वीकार कर दिया है। याचिकाकर्ता, जो सचिवालय सेवा, मंत्रालय, रायपुर में सहायक ग्रेड–II के पद पर कार्यरत हैं, ने अपने अवयस्क पुत्र के हाइपोस्पेडियास के शल्य चिकित्सा हेतु बिलासपुर स्थित माखिजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर—जो एक सूचीबद्ध चिकित्सालय है, में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की थी। समूचित

सूचना देने और समस्त प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बावजूद, आपात स्थिति के अभाव के आधार पर दावे को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया, और उसके पश्चात दिए गए अभ्यावेदन को भी बिना किसी वैध कारण के खारिज कर दिया गया। अतः, निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की गई है:

> "i. उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के संबंध में अस्वीकरण आदेश दिनांक 24/09/2022 (अनुलग्नक पी/1) को अपास्त किया जाए, एवं उत्तरवादी क्रमांक 3 को याचिकाकर्ता के ₹54,848/– की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संदाय के प्रकरण पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।
>
> ii. उत्तरवादीगण को निर्देशित करने की कृपा करें कि वे याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि ₹54,848/–, आवेदन की तिथि से 12% वार्षिक ब्याज के साथ, तथा विलंब एवं मानसिक संताप हेतु प्रतिकर सहित संदाय करें।
>
> iii. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोई अन्य आदेश जो उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो पारित करने की कृपा करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत मंत्रालय, रायपुर के सामान्य प्रशासन विभाग में सचिवालय सेवा के कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में वह महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) में सहायक ग्रेड–II के पद पर पदस्थ है। वर्ष 2018–2019 के दौरान, याचिकाकर्ता के अवयस्क पुत्र, मास्टर देवांश कौशिक,आयु लगभग 2 वर्ष 4 माह, को हाइपोस्पेडियास (मूत्र संबंधी विकार) नामक जन्मजात बीमारी का पता चला, जिसके लिए विशेष शल्य चिकित्सा की आवश्यकता थी। बालक का नियमित चिकित्सा पर्यवेक्षण और उपचार मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर में चल रहा था, जहाँ उपस्थित चिकित्सक ने शल्य चिकित्सा की सलाह दी थी। हाइपोस्पेडियास की शल्य चिकित्सा दो चरणों में की जानी थी। ऑपरेशन का पहला चरण सितंबर–अक्टूबर 2018 के महीनों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके पश्चात, निरंतर देखभाल और चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह चिकित्सीय सलाह दी गई कि शल्य चिकित्सा का दूसरा चरण भी उसी चिकित्सालय में किया जाए। नवंबर 2019 में, बालक को पुनः जटिलताएँ और मूत्र संबंधी विकार उत्पन्न हुई, और चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत तत्काल भर्ती होने की सलाह दी गई। परिणामस्वरूप, शल्य चिकित्सा का दूसरा चरण दिनाँक 15.11.2019 को मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर में संपन्न हुआ। यहाँ यह उल्लेख करना सुसंगत है कि मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए विधिवत मान्यता प्राप्त

और सूचीबद्ध चिकित्सालय है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि आपातकालीन उपचार के प्रकरणों में, संबंधित कर्मचारी को उपचार प्रारंभ होने के 48 घंटों के भीतर संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर और विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा, तत्पश्चात कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने उक्त आवश्यकता का विधिवत अनुपालन किया और अपने पुत्र को आपातकालीन शल्य चिकित्सा हेतु भर्ती कराने के 48 घंटों के भीतर संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया। उपचार के सफल समापन और बालक के स्वस्थ होने के उपरांत, याचिकाकर्ता ने समस्त आवश्यक दस्तावेजों और चिकित्सा प्रमाणपत्रों को संलग्न करते हुए दिनाँक 16.12.2019 को निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उचित विचारोपरांत, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को सहायक दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु पत्र दिनांक 17.12.2019 के माध्यम से सिविल सर्जन, बिलासपुर को अग्रेषित किया। सिविल सर्जन ने दस्तावेजों के उचित सत्यापन के उपरांत दिनाँक 09.01.2020 को एक प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में ₹54,848/– की राशि देय थी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अधीन, उत्तरवादी क्रमांक 3 ₹25,000/– से अधिक के प्रतिपूर्ति दावों को स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। तदनुसार, याचिकाकर्ता के दावे को आवश्यक विचार और स्वीकृति के लिए उत्तरवादी क्रमांक 3 को अग्रेषित किया गया। हालाँकि, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने उचित विवेक का प्रयोग किए बिना और प्रकरण की परिस्थितियों को सही परिप्रेक्ष्य में समझे बिना, दिनांक 23.03.2021 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि "आपातकालीन नहीं– अत्यावश्यक परिस्थिति में उपचार का प्रकरण प्रतीत नहीं होता है, अतः पुनर्विचार उपरान्त अमान्य।" उत्तरवादी क्रमांक 3 की यह कार्रवाई मनमाना, अन्यायपूर्ण और चिकित्सा परिचर्या नियमों की मूल भावना के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आगे यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता का अवयस्क पुत्र मात्र ढाई वर्ष का था और एक गंभीर जन्मजात मूत्र संबंधी विकार से पीड़ित था। की गई शल्य चिकित्सा जीवन–रक्षक और चिकित्सकीय रूप से तत्काल आवश्यक प्रक्रिया थी। याचिकाकर्ता ने 48 घंटों के भीतर अधिकारियों को विधिवत सूचित किया था और राज्य सरकार के अंतर्गत एक अधिकृत और सूचीबद्ध चिकित्सालय में उपचार प्राप्त किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि दो वर्ष के बालक का जीवन और स्वास्थ्य एक माता–पिता के लिए अत्यंत आपातकालीन विषय होता है, और इसलिए, "कोई आपात स्थिति नहीं" के आधार पर दावे को अस्वीकार करना अनुचित है और इसमें शामिल मानवीय एवं विधिक सिद्धांतों के प्रति संवेदनहीनता है। मनमाने ढंग से की गई इस अस्वीकृति से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिपूर्ति दावे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 24.12.2021 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपने अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि उपचार उसी चिकित्सक और चिकित्सालय में जारी रखा गया था जहाँ शल्य चिकित्सा का पहला चरण संपन्न हुआ था, और

जटिलताओं तथा दर्द के दोबारा उभरने के कारण दूसरे शल्य चिकित्सा की तत्काल आवश्यक हो गई थी। उसी सूचीबद्ध चिकित्सालय का चयन करना तर्कसंगत और चिकित्सकीय रूप से उचित था। उक्त अभ्यावेदन को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उत्तरवादी क्रमांक 3 को विधिवत अग्रेषित किया गया था। यद्यपि, पुनः, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने बिना किसी वैध या सकारण आधार के, दिनांक 24.09.2022 के आदेश द्वारा दावे को अस्वीकार कर दिया और केवल "अमान्य" शब्द अंकित किया। अस्वीकृति के इस आदेश की सूचना बाद में उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दिनांक 08.02.2023 को याचिकाकर्ता को दी गई। उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा याचिकाकर्ता के वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को अस्वीकार किया जाना मनमाना और अनुचित है। अतः, याचिकाकर्ता इस न्यायालय की शरण लेने हेतु विवश है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2022, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को अस्वीकार दिया गया है, मनमाना, अन्यायपूर्ण, अनुचित और विधि के विरुद्ध है। यह तर्क किया गया है कि उक्त अस्वीकृति पूर्णतः विवेक का प्रयोग न करने के दोष से ग्रसित है और प्रशासनिक निष्पक्षता तथा प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता, एक शासकीय कर्मचारी होने के नाते, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार है, और आक्षेपित आदेश, बिना कारण और यांत्रिक होने के कारण, अभिखण्डित किए जाने योग्य है। यह आगे तर्क किया गया है कि आक्षेपित अस्वीकृति पत्र दिनांक 24.09.2022 में अस्वीकृति के किसी भी कारण को प्रकट किए बिना केवल "अमान्य" शब्द अंकित किया गया है। याचिकाकर्ता के दावे को अमान्य क्यों माना गया, इसके लिए कोई औचित्य, विश्लेषण या तर्क प्रदान नहीं किया गया है। प्रशासनिक विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक अर्ध–न्यायिक या प्रशासनिक आदेश जो नागरिक अधिकारों को प्रभावित करता है, वह सकारण और सुस्पष्ट आदेश होना चाहिए। कारण बताने में विफलता आदेश को मनमाना और विधि में असंधारणीय बना देती है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि कारण न्याय की आत्मा है और बिना कारण वाले आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है। इस प्रकार, आक्षेपित सूचना दिनांक 24.09.2022 केवल सकारण न होने, मनमाना और अस्पष्ट होने के आधार पर ही अपास्त किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने अपने अवयस्क पुत्र का उपचार मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर में कराया था, जो शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के अधीन एक अधिकृत और विधिवत मान्यता प्राप्त चिकित्सालय है। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अधीन निर्धारित 48 घंटे की अवधि के भीतर उचित सूचना दी थी और दावे के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। सिविल सर्जन, बिलासपुर ने उचित सत्यापन के उपरांत उपचार को प्रमाणित किया और ₹54,848/– की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपूर्ति की अनुशंसा की थी। विभागाध्यक्ष ने भी इसे विधिवत पृष्ठांकित और अग्रेषित किया था। अतः, एक बार जब सभी सक्षम अधिकारियों ने दावे को सत्यापित और अनुशंसित कर दिया था, तो उत्तरवादी क्रमांक 3 ठोस कारण के बिना इसे संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं कर सकते थे। आगे यह तर्क किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा आदेश दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से दावे की पूर्व अस्वीकृति, इस आधार पर कि "कोई आपात स्थिति नहीं ", समान रूप से भ्रामक और चिकित्सा अभिलेखों के विपरीत थी। याचिकाकर्ता का पुत्र मात्र ढाई वर्ष का था, जो हाइपोस्पेडियास से पीड़ित था, जो एक गंभीर जन्मजात मूत्र संबंधी विकार है जिसके लिए चरणों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। 2018 में पहले चरण की शल्य चिकित्सा के बाद, मूत्र संबंधी विकार और संक्रमण के दोबारा उभरने के कारण 2019 में दूसरी शल्य चिकित्सा चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो गई थी। शल्य चिकित्सा की सलाह उसी उपचार विशेषज्ञ द्वारा दी गई थी, और इसकी तात्कालिकता निर्विवाद थी। अतः, यह निष्कर्ष कि "कोई आपात स्थिति नहीं", तथ्यात्मक और चिकित्सीय परिस्थितियों के प्रति पूर्णतः समझ के अभाव को दर्शाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया कि मूत्र संबंधी विकार से पीड़ित दो वर्षीय बालक के माता–पिता होने के नाते, याचिकाकर्ता उपचार में कोई जोखिम या विलंब नहीं कर सकते थे। जब बालक को पुनः मूत्र संबंधी जटिलताएँ और संक्रमण हुआ, तो याचिकाकर्ता अपने माता–पिता के कर्तव्य और चिकित्सीय सलाह से उसे तुरंत उसी चिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए बाध्य थे, जहाँ उसके पूर्व अभिलेख और चिकित्सा इतिहास उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में, कोई भी विवेकशील व्यक्ति बालक के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्परता से कार्य करेगा। इसलिए, "कोई आपात स्थिति नहीं" का तर्क न केवल अनुचित है, बल्कि मानवीय तर्क और संवेदना के भी विपरीत है। स्थिति की तात्कालिकता को स्वीकार करने से इनकार करना उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा विवेकाधिकार के मनमाने और संवेदनहीन प्रयोग को प्रकट करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह आगे तर्क किया गया है कि मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर एक सूचीबद्ध चिकित्सालय होने के नाते, याचिकाकर्ता के लिए अपने पुत्र की दूसरे चरण की शल्य चिकित्सा कराने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान था। उपचार की सूचना समय पर विधिवत दी गई थी, और संबंधित नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति मांगी गई थी। इस तरह के अनुपालन के बावजूद दावे को अस्वीकार करना चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 की मूल भावना का उल्लंघन है, जिसका प्रयोजन शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के वैध चिकित्सा अधिकारों को सुगम बनाना है, न कि उन्हें विफल करना। उत्तरवादी द्वारा इस आधार पर दावे को अस्वीकार करने की कार्रवाई कि मामला "आपातकालीन" स्थिति के अंतर्गत नहीं आता, तथ्यात्मक और विधिक रूप से अस्थिर है। एक बार जब राज्य ने वैधानिक नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाएं और प्रतिपूर्ति प्रदान करने का उत्तरदायित्व ले लिया है, तो मनमाने और बिना कारण के ऐसे लाभों से इनकार करना समानता, निष्पक्षता और गरिमा की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है। इस संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा मन्नू लाल जांगड़े विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (रिट याचिका सेवा क्रमांक 373/2022) के

प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया गया है, जिसमें यह दोहराया गया है कि राज्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में अति–तकनीकी या संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकता और ऐसे दावों की व्याख्या मानवीय, व्यावहारिक और उदार तरीके से की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा वैध था, जिसे चिकित्सा दस्तावेजों और प्रक्रियात्मक अनुपालन का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, और इसलिए, इसे अस्वीकार किया जाना विधि और तथ्यों की दृष्टि में असंधारणीय है। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2022 को अपास्त करने की कृपा करें, और सद्विवेक, साम्या एवं न्याय के हित में उत्तरवादीगण को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि ₹54,848/– समस्त आनुषंगिक लाभों सहित याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

6. प्रारंभ में ही, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि वर्तमान प्रकरण में शामिल संक्षिप्त विवाद केवल याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को अस्वीकार करने से संबंधित है, जो उसके पुत्र,मास्टर देवांश कौशिक के हाइपोस्पेडियास (मूत्र संबंधी विकार) के उपचार पर व्यय किया गया था। यह तर्क किया गया है कि उक्त दावे की अस्वीकृति पूर्णतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013(एतस्मिन पश्चात जिसे "नियम, 2013" कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार की गई है, और इसलिए, आक्षेपित कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अवैधता या मनमानेपन का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान रिट याचिका अपने स्वरूप और प्रस्तुतिकरण में गुण–दोष, सार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हस्तक्षेप के आधारों से रहित है। आक्षेपित कार्रवाई चिकित्सा प्रतिपूर्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के सीमा में की गई है, और याचिकाकर्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता, नियम के उल्लंघन या द्वेष को साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार, याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है। यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार्य रूप से अपने अवयस्क पुत्र का उपचार मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर में कराया, जो शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए राज्य सरकार के अधीन एक मान्यता प्राप्त और सूचीबद्ध संस्थान है। उपचार पूर्ण होने के उपरांत, याचिकाकर्ता ने उसमें हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अपने चिकित्सा बिल प्रस्तुत किए। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि शासकीय कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अधीन कठोरता से शासित और विनियमित होती है। उक्त नियमों का नियम 11 उन प्रकरणों में कार्योत्तर स्वीकृति से संबंधित है जहाँ पूर्व प्रेषण या अनुमोदन के बिना उपचार कराया जाता है। उक्त नियम स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि कार्योत्तर स्वीकृति केवल आपातकालीन परिस्थितियों के प्रकरणों में ही दी जा सकती है और ऐसी आपात स्थिति या स्वीकृति के अभाव में प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसमें आगे यह प्रावधान है कि ऐसे प्रकरणों की जांच संचालक, चिकित्सा शिक्षा या संचालक, आयुष (जैसा भी मामला हो) द्वारा की जानी चाहिए, और इसमें दावे के गुण–दोष के मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समिति का गठन शामिल हो सकता है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी से बिना किसी रेफरल या पूर्व अनुमोदन के अपने पुत्र का उपचार मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर में कराया था, इसलिए उसके प्रकरण को नियम, 2013 के नियम 11 के अधीन आवश्यक कार्योत्तर स्वीकृति के विचार हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा को अग्रेषित किया गया था।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि, नियम 11(5) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे प्रकरणों की जांच के लिए प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें संचालक, चिकित्सा शिक्षा; संचालक, आयुष; संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ; वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि; और दो नामांकित विषय विशेषज्ञों सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। याचिकाकर्ता के प्रकरण में, समिति ने प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन के उपरांत अपना अंतिम दृष्टिकोण बनाने से पहले एक सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट का अभिमत लेना उचित समझा। तदनुसार, प्रकरण को चिकित्सा मूल्यांकन हेतु उक्त विशेषज्ञ को प्रेषित किया गया। प्रकरण के विस्तृत परीक्षण के बाद, सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट ने यह अभिमत दिया कि याचिकाकर्ता के पुत्र द्वारा कराया गया उपचार आपातकालीन स्थिति के सीमा में नहीं आता है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पर्चियों और प्रयोगशाला रिपोर्टों सहित चिकित्सा दस्तावेजों से किसी भी जीवन–रक्षक तात्कालिकता या तत्काल चिकित्सा आपात स्थिति का संकेत नहीं मिला, जिसके लिए तत्काल शल्य चिकित्सा अनिवार्य हो। विशेषज्ञ ने आगे यह भी उल्लेख किया कि यह स्थिति नियोजित , वैकल्पिक और सामान्य प्रकृति की थी, और इसलिए इसे नियम 11 के अर्थ के अंतर्गत "आपातकाल" नहीं माना जा सकता। इस चिकित्सा अभिमत के आधार पर, समिति ने प्रकरण को कार्योत्तर स्वीकृति के लिए योग्य नहीं पाया। आगे यह तर्क किया गया है कि वर्तमान रिट याचिका में भी, याचिकाकर्ता ने अभिलेख पर ऐसा कोई भौतिक दस्तावेज जैसे पर्चे, चिकित्सा रिपोर्ट या आपातकालीन भर्ती पर्ची प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो तत्काल शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाली किसी आपातकालीन या जीवन–रक्षक स्थिति के अस्तित्व की पुष्टि कर सकें। ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, आपात स्थिति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और इसलिए, याचिकाकर्ता के दावे को केवल उनके व्यक्तिगत दावों के आधार पर आपातकालीन मामला स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर पहले भी विचार किया गया था और संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा दिनांक 23.03.2021 के आदेश के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता को विधिवत दी गई थी। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे पुनः सक्षम समिति के समक्ष रखा गया और विशेषज्ञ चिकित्सा अभिमत के आलोक में उसका पुनः परीक्षण किया गया। अतः, दिनांक 24.09.2022 की बाद की अस्वीकृति को यांत्रिक या बिना विचार किए लिया गया निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह विशेषज्ञ मूल्यांकन और नियम, 2013 की वैधानिक योजना पर आधारित है। आगे

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह तर्क किया गया है कि प्रतिपूर्ति का अधिकार कोई पूर्ण या मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक वैधानिक पात्रता है जो निर्धारित शर्तों के पूरा होने के अधीन है। शासी नियमों के सीमा से बाहर जाकर दावे को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। चूंकि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने विशेषज्ञ परीक्षण के बाद यह पाया कि याचिकाकर्ता के प्रकरण में कोई आपात स्थिति शामिल नहीं थी, इसलिए कार्योत्तर स्वीकृति के अपवाद के अधीन प्रतिपूर्ति प्रदान करने का कोई अवसर नहीं था। आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक पी/1) चिकित्सा अभिमत, नियमों और सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसाओं के पूर्णतः अनुरूप जारी किया गया है। आदेश सकारण, न्यायसंगत, उचित और विधिक है और इसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय रिट याचिका को गुण–दोष रहित होने के कारण खारिज करने की कृपा करें, क्योंकि याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की आक्षेपित अस्वीकृति उचित प्रक्रिया, विवेक के उचित प्रयोग और विशेषज्ञ चिकित्सा अभिमत पर आधारित है, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अधीन परिकल्पित है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. एक बालक को होने वाली साधारण सी पीड़ा भी माता–पिता के लिए गहन चिंता का विषय होती है। नैतिक, व्यावहारिक और न्यायशास्त्रीय निहितार्थों को दृष्टिगत रखते हुए, बालक के सर्वोत्तम हित का मानक ही उसके चिकित्सा उपचार से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक सुदृढ़ ढांचा बना हुआ है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि उपचार, शल्य चिकित्सा और दावे की प्रस्तुति से संबंधित तथ्य निर्विवाद हैं। विवाद केवल इस तथ्य पर आधारित है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा अपने अवयस्क पुत्र के लिए कराया गया उपचार नियम, 2013 के नियम 11 के अर्थ के अंतर्गत "आपातकालीन" माना जा सकता है और क्या अस्वीकृति आदेश दिनांक 24.09.2022 विधि की दृष्टि में संधारणीय है।

11. आक्षेपित आदेश के सरल परिशीलन से ज्ञात होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने बिना कोई कारण बताए या विवेका का प्रयोग किए बिना केवल "अमान्य" टिप्पणी दर्ज की है। इस प्रकार यह आदेश एक अस्पष्ट और बिना कारण वाला आदेश है। यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक प्रशासनिक या अर्ध–न्यायिक निर्णय एक सकारण आदेश होना चाहिए।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड विरुद्ध मसूद अहमद खान, (2010) 9 एससीसी 496** में प्रकाशित प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि कारण प्रत्येक निष्कर्ष की धड़कन होते हैं; उनके बिना आदेश निर्जीव हो जाता है। इसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"47. उपरोक्त विश्लेषण का सारांश प्रस्तुत करते हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है:

(क) भारत में न्यायिक प्रवृत्ति सदैव रही है कि कारणों को अभिलिखित किया जाए, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों।

(ख) एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण अभिलिखित करने चाहिए।

(ग) कारण अभिलिखित करने पर बल देना न्याय के उस व्यापक सिद्धांत की सेवा करना है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि वह होता हुआ दिखना भी चाहिए।

(घ) कारणों का अभिलेखन न्यायिक, अर्ध–न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर वैध नियंत्रण के रूप में कार्य करता है।

(ड़) कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णयकर्ता द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग सुसंगत आधारों पर तथा असंगत विचारों को दरकिनार करते हुए किया गया है।

(च) न्यायिक, अर्ध–न्यायिक और यहाँ तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन की तरह ही, कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं।

(छ) कारण उच्चतर न्यायालयों द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

(ज) विधि के शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में वर्तमान न्यायिक प्रवृत्ति सुसंगत तथ्यों पर आधारित सकारण निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय प्रक्रिया की जीवनधारा है,जो इस सिद्धांत को न्यायसंगत ठहराता है कि कारण ही न्याय की आत्मा है।

(झ) इन दिनों न्यायिक या अर्ध–न्यायिक अभिमत उतना ही भिन्न हो सकते हैं जितने कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और प्राधिकारी। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जो तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना है कि सुसंगत कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

(ञ) कारण बताने पर बल देना न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए एक आवश्यकता है।

(ट) यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्व–निर्णय के सिद्धांत या क्रमिक विकास के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान है या नहीं।

(ठ) निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। केवल कारणों का ढोंग करना या "रबर–स्टैम्प कारण" (लकीर के फकीर की तरह दिए गए कारण) देना एक वैध निर्णय प्रक्रिया के समान नहीं माना जा सकता।

(ड) इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता एक अनिवार्य शर्त है। निर्णय लेने में पारदर्शिता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न केवल न्यायाधीशों तथा निर्णयकर्ताओं को त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के दायरे में भी लाती है।(देखें: डेविड शापिरो,इन डिफेंस ऑफ़ ज्यूडिशियल कैंडर [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731–37]।)

(ढ) चूंकि कारण अभिलिखित करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उद्भूत होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना गया था। (देखें रुइज़ टोरिजा विरुद्ध स्पेन [(1994) 19 इएचआरआर 553] इएचआरआर, पृष्ठ 562 कण्डिका 29, एवं अन्या विरुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड)[2001 इडब्लूसीए सिव. 405 (सीए)], जिसमें न्यायालय ने मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया, जो यह अपेक्षा करता है कि न्यायिक निर्णयों के लिए पर्याप्त एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कारण दिए जाने चाहिए।

(ण) सभी कॉमन लॉ क्षेत्राधिकारों में, भविष्य के लिए नजीर स्थापित करने में निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, विधि के विकास के लिए, निर्णय के कारण बताने की आवश्यकता अनिवार्य है और यह वस्तुतः सम्यक् प्रक्रिया का एक हिस्सा है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अतः, आक्षेपित आदेश, कारणों से रहित होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता, जो राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन के अभाव की गारंटी देता है। अभिलेख से आगे यह भी ज्ञात होता है कि जिस चिकित्सालय में याचिकाकर्ता के पुत्र का उपचार किया गया था, वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक सूचीबद्ध संस्थान है। याचिकाकर्ता ने निर्धारित 48 घंटे की अवधि के भीतर अधिकारियों को विधिवत सूचित किया था, और सिविल सर्जन के साथ–साथ विभागाध्यक्ष ने भी प्रतिपूर्ति को सत्यापित और अनुशंसित किया था। एक बार जब ऐसा सत्यापन पूरा हो गया था, तो यह स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का कर्तव्य था कि वह या तो अनुशंसा को स्वीकार करे या, यदि वह इससे भिन्न मत रखना चाहता है, तो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विशिष्ट कारणों को अभिलिखित करे। वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई तर्क या सामग्री का विश्लेषण परिलक्षित नहीं होता है।

14. उत्तरवादीगण द्वारा दिया गया यह तर्क कि "कोई आपात स्थिति नहीं", भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। संबंधित रोगी एक ढाई वर्ष का बालक था जो जन्मजात मूत्र संबंधी विकार से पीड़ित था, जिसके लिए चरणों में शल्य चिकित्सा सुधार की आवश्यकता थी। प्रथम चरण की सर्जरी के बाद, नवंबर 2019 में मूत्र संबंधी विकार और संक्रमण का दोबारा उभरना स्पष्ट रूप से एक चिकित्सा आपात स्थिति थी, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। एक अभिभावक होने के नाते, याचिकाकर्ता का चिकित्सीय सलाह पर तत्काल कार्य करना उचित था। ऐसी परिस्थितियों में, एक शासकीय कर्मचारी से अपने बालक के स्वास्थ्य की रक्षा करने से पहले पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा करना

पूरी तरह से अनुचित और मानवीय संवेदनाओं के विपरीत है। स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन एक मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार है।

15. चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। राज्य, एक कल्याणकारी इकाई होने के नाते, यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसी भी कर्मचारी को अति–तकनीकी या प्रक्रियात्मक आधार पर वैध चिकित्सा लाभों से वंचित न किया जाए। "आपातकाल" की व्याख्या उदार और सप्रयोजन होनी चाहिए, जो कर्मचारियों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने के नियमों के उद्देश्य के अनुरूप हो। उत्तरवादीगण द्वारा यूरोलॉजिस्ट का विशेषज्ञ अभिमत का लिया गया अवलंब भी उनके प्रकरण को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं है। उक्त अभिमत में बिना किसी सहायक तर्क या चिकित्सीय स्पष्टीकरण के केवल यह कहा गया है कि "अत्यावश्यक परिस्थिति का प्रकरण प्रतीत नहीं होता है" किसी अभिमत का साक्ष्यिक मूल्य होने के लिए उसके निष्कर्ष के आधार का प्रकट होना आवश्यक है। ऐसे तर्क के अभाव में उक्त अभिमत अनिर्णायक और वैध प्रतिपूर्ति से इनकार करने का एकमात्र आधार बनने के लिए अपर्याप्त हो जाता है। यह न्यायालय इस तर्क में भी बल पाता है कि जब उपचार विधिवत मान्यता प्राप्त और सूचीबद्ध चिकित्सालय में लिया गया था, तो प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए था। चिकित्सा परिचर्या नियमों का आशय प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सुगम बनाना है, न कि अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाएं डालना। याचिकाकर्ता का प्रकरण, पूर्णतः दस्तावेजीकृत और सत्यापित होने के कारण, स्वीकृति हेतु उपयुक्त था। इसलिए, अस्वीकृति स्पष्ट रूप से मनमाना, अन्यायपूर्ण और वैधानिक एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. उच्चतम न्यायालय ने: **अस्पतालों में कोविड–19 रोगियों का उचित उपचार और शवों का गरिमापूर्ण प्रबंधन आदि (स्व–संज्ञान रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7/2020)**, निर्णय दिनाँक 19–06–2020, में यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार में किफायती उपचार भी शामिल है।

17. पूर्वगामी विश्लेषण के आलोक में, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2022, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को अस्वीकार किया गया था, मनमाना, बिना कारण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः उक्त आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

18. उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे मखीजा पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सर्जरी सेंटर, बिलासपुर में याचिकाकर्ता के अवयस्क पुत्र के उपचार से संबंधित ₹54,848/– के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर स्वीकृत करें।

19. न्यायालय आगे यह भी अवधारित करता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में, प्राधिकारियों को यह ध्यान में रखते हुए एक मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अवश्य अपनाना चाहिए कि किसी कर्मचारी या उसके आश्रित के स्वास्थ्य और जीवन को प्रक्रियात्मक कठोरता के अधीन नहीं रखा जा सकता है।

20. तदनुसार, यह रिट याचिका उपरोक्त शर्तों के साथ **स्वीकार** की जाती है।

वाद–व्यय हेतु कोई आदेश नहीं।

सही/–

(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur